न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11 / 2023

प्रविष्टि दिनांक 16.02.2023

कानाराम मीणा पुत्र दल्ला मीणा निवासी रघुनाथपुरा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार देवली दिनांक 01.02.2023 मिसल नम्बर 875 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 12.01.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर सिवायचक भूमि वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील देवली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान राशि 1.36 रूपये का 60 गुना जुर्माना कुल 68 रू शास्ति अदा करने तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे। अतः अपील का निस्तारण प्रकरण का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर करने हेतु राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश बिना अपीलांट पर किसी तरह की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल कराये बिना एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिए एक तरफा में निर्णय पारित किया गया है, तामील नोटिस पर गलत तामील बता कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका के सशपथ बयान लिये बिना, अतिक्रमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिये बिना व बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है व मौके पर वास्तविक रूप से बिना जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट का खसरा नम्बर 938, 952 या अन्य किसी भी सिवायचक या सरकारी जमीन पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है। उक्त निर्णय छपे छपाये प्रोफार्मा में एक ही निर्णय पारित किया है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 938, 952 का रकबा बहुत बड़ा रकबा है तथा प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि के किस भाग पर तथा कितना कब्जा किस ओर है, साबित हुए बिना अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने मौके पर अन्य अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अन्य कई लोगों के कब्जे होने के बावजूद अपीलांट को गलत रूप से सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को द्वेषता से प्रेरित होकर पारित किया हुआ होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 01.02.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की स्वयं की तामील हुई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 557/2020 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तथा अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 938 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर सिवायचक भूमि वाके ग्राम रघुनाथपुरा गांवडी तहसील देवली पर सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण किया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.04.2023 को कब्जा छोडने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र की सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार देवली से भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार देवली ने अपने पत्र क्रमांक 380 दिनांक 18.04.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा मौके पर सीमेंट के खम्भे लगाकर तारबंदी की गयी है। अतिक्रमी कानाराम मीणा द्वारा पूर्व में भी रघुनाथपुरा के खेल मैदान जिसके खसरा नम्बर 1004/656 रकबा 1.02 हैक्टेयर में से लगभग 0.20 हैक्टेयर भूमि पर बाड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है व खेल मैदान पर ही टीनशेड बना रखा है, जिसका पूर्व में खेल मैदान का अतिक्रमण माह नवम्बर 2022 में हटाया गया था, परन्तु अतिक्रमी द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रार्थी आदतन अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक